महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 47वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 47वीं बैठक दिनांक 28 जून, 2013 को प्रातः 12:00 बजे बृहस्पति भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

उपस्थितिः-

1.	प्रो. रूप सिंह बारेठ कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ।	अध्यक्ष
2.	प्रो. के.के. शर्मा, संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
3.	प्रो. एस. पालरिया, संकायाध्यक्ष, कॉलेज एवं विभागाध्यक्ष, रिमोट सेंसिंग एण्ड जियोइन्फोरमेटिक्स विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
4.	प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, विभागाध्यक्ष-जनसंख्या अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
5.	प्रो. मनोज कुमार, संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय एवं विभागाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
6.	प्रो. जी.के.कोहली, संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन एवं विभागाध्यक्ष-खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
7.	प्रो. बी.पी. सारस्वत, संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय एवं विभागाध्यक्ष-वाणिज्य विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
8.	प्रो. एस.एन. सिंह, संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य

9.	डॉ. शिव दयाल सिंह संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
10.	प्रो. के. सक्सैना, प्रबन्ध अध्ययन विभाग, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।	सदस्य
11.	श्री ई.आर.जे. आबर्ट, संकायाध्यक्ष-कला संकाय एवं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
12.	श्री सुरेश कुमार सिन्धी कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य-सचिव

<u>निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेः-</u>

1.	प्रो. पी.एस.वर्मा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।	सदस्य
2.	आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।	सदस्य
3.	प्रो. वी.के. कांकरिया, संकायाध्यक्ष-शिक्षा एवं प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर ।	सदस्य
4.	प्रो. एम.एल. वडेरा, वाणिज्य विभाग (Deptt. of Accounting) जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।	सदस्य
5.	श्री बी.एल. सिंगारिया, नागौर ।	सदस्य

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया । इसके पश्चात् विद्या परिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया । तत्पश्चात कार्यसूची पर विचार-विमर्श आरम्भ हुआ एवं निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं. 1	विद्या परिषद् की दिनांक 30.03.12 को सम्पन्न हुई 46वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (46) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2012/14261-78 दिनांक 11.04.12 को प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**विद्या परिषद् की दिनांक 30.03.12 को सम्पन्न हुई 46वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 2	दिनांक 30.03.12 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 46वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्य सूची का परिशिष्ट-1)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा दिनांक 30.03.12 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 46वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन किया ।**	
मद सं 3	निदेशक, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 7 (4) अकाद/निकाशि/विविध/2010/II/15 दिनांक 10 जनवरी, 2013 के अनुसार संचालित पाठ्यक्रमों में सुधार एवं समस्त विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिए विचार करना । **(कार्य सूची का परिशिष्ट-2)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में सुधार हेतु अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें आयोजित करने के साथ ही समस्त विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिये प्रस्ताव कॉर्डिनेशन कमेटी के समक्ष रखने हेतु राज्य सरकार को अनुरोध करने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं 4	प्रो. वेद प्रकाश, कार्यवाहक अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक D.O. No.F.13-1/2012(Policy/NVEQF) 24th August, 2012 जो कि Vocational Education Qualification framework के अन्तर्गत 7 स्तर के प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए मानवीय संसाधनों को वर्ष 2022 तक उपलब्ध कराने की योजना बाबत् प्राप्त हुआ है, जिसमें पांचवें और सातवें स्तर के प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा से संबंधित है । इस विषय में A.I.C.T.E. द्वारा 10 व्यावसायिक सेक्टर विशेषीकरण के शुरू किये गये है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा व्यावसायिक शिक्षा की योजना तैयार की गयी है जिसका पूर्ण विवरण संलग्न प्रपत्र में	**शैक्षणिक-I**

उपलब्ध है । यह सभी पाठ्यक्रम कला, वाणिज्य एवं विज्ञान स्नातक स्तर के छात्रों के लिए है । विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में उक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा सकता है । पाठ्यक्रम संचालन की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की पूर्ण योजना पर विचार करना । **(कार्य सूची का परिशिष्ट-3)**

निर्णय **विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्षों से इस संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित किये जायें । प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एक समिति का गठन कर कार्यवाही किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।**

मद सं 5 **माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः-**

(1) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>** निम्नांकित अध्ययन बोर्डो की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं का माननीय कुलपति महोदय ने अनुमोदन कियाः- **शैक्षणिक-I**

क्र.सं.	संकाय का नाम	अध्ययन बोर्ड / पाठ्यक्रम समिति का नाम	बैठक दिनांक	परिशिष्ट
1	**विज्ञान संकाय**	पर्यावरण अध्ययन	29.11.12	4
2	**प्रबन्ध अध्ययन संकाय**	Entrepreneurship	07.05.13	5
3	**विज्ञान संकाय**	Applied Chemistry	27.05.13	6
4	**वाणिज्य संकाय**	A.B.S.T.	08.06.13	7

निर्णय **पुष्टि की गयी ।**

(2) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>** शोधार्थी मौसमी दास गुप्ता, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ने निर्धारित अवधि 5 वर्ष एवं उसके बाद अध्यादेश 124.13 (iii) के अनुसार एक वर्ष की विस्तारित अवधि दिनांक 03.04.11 तक भी शोध ग्रंथ जमा करवाने में असमर्थता प्रकट की और गम्भीर बीमारी Common variable Immunodeficiency (CVID) का कारण बताते हुए विशेष परिस्थिति में 06 माह की अतिरिक्त अवधि और बढ़ाये जाने हेतु निवेदन किया । **शोध**

विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 124 में 06 वर्ष के बाद अवधि विस्तार के इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण प्रकरण माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । लम्बे समय से गम्भीर बीमार से ग्रस्त होने के कारण शोधार्थी की प्रार्थना को स्वीकार करने और विशेष परिस्थिति में 06 माह की अतिरिक्त अवधि बढ़ाये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 27.05.2011 प्रतिवेदित है ।

निर्णय **पुष्टि की गयी ।**

(3) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>** विश्वविद्यालय अध्यादेश 124.14 के अनुसार शोधग्रंथ जांच हेतु बाह्य परीक्षकों के पैनल में 15 प्रोफेसर स्तर के विशेषज्ञों के नाम होना अनिवार्य है । विश्वविद्यालय स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 20 जनवरी, 2011 में सिन्धी विषय में शोध ग्रंथ जांच हेतु पूरे भारत वर्ष में एक मात्र प्रोफेसर उपलब्ध होने के कारण परीक्षकों के पैनल में रीडर/सह-आचार्य स्तर के विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित एवं नियुक्त किये जाने की संस्तुति की गई । अन्य विषय जैसे शारीरिक शिक्षा, चित्रकला, संगीत में समिति के सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि शोध पर्यवेक्षक संबंधित विषय के प्रोफेसर स्तर के परीक्षकों की जानकारी इंटरनेट से प्राप्त करने के पश्चात् ही पैनल में छूट हेतु शोध अनुभाग को सूचित करें । विषयवार इस जानकारी के सत्यापन के पश्चात् ही परीक्षकों के पैनल में रीडर के नाम सम्मिलित किया जाना अथवा कम संख्या में प्रोफेसर का पैनल मान्य किये जाने की संस्तुति की गई तथा इस प्रकरण को आगामी विद्या परिषद की बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किये जाने की भी संस्तुति की गई ।
उक्त संस्तुति का अनुमोदन माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 04 फरवरी, 2011 को किया गया । अतः माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेश प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है ।

शोध

निर्णय **पुष्टि की गयी । इंटरनेट पर उपलब्ध समस्त ऐसे विषय जिनमें प्रोफेसर्स की संख्या कम है, के परीक्षकों के पैनल में रीडर/सह-आचार्य स्तर के विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया ।**

(4) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>** विश्वविद्यालय के अधिनियम के परिनियम की धारा 2 (1) 2 (2) के अन्तर्गत, विद्या परिषद् की अनुशंषा 21 दिनांक 16.05.08 सपठित प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 03 दिनांक 11.06.08 के अनुसार माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार वाणिज्य एवं शिक्षा संकाय के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति का कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष-प्रथम/मदसविवि/2012/38929-39228 दिनांक 19.12.12 प्रसारित किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ट- 8)**

शैक्षणिक-I

निर्णय **पुष्टि की गयी ।**

(5) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>** विश्वविद्यालय के अधिनियम के परिनियम की धारा 2 (1) 2 (2) के अन्तर्गत, विद्या परिषद् की अनुशंषा 21 दिनांक 16.05.08 सपठित प्रबन्ध बोर्ड के निर्णयसंख्या 03 दिनांक 11.06.08 के अनुसार माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कला एवं प्रबन्ध संकाय के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति का कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष-प्रथम/मदसविवि/2013/16996-17295 दिनांक 22.05.13 प्रसारित किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-9)**

शैक्षणिक-I

निर्णय **पुष्टि की गयी ।**

(6) **<u>प्रतिवेदित है कि</u>** विश्वविद्यालय के सत्र 2013-14 से 2017-18 तक के पाठ्यक्रम ऑनलाईन उपलब्ध होंगे, का माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 10.06.2013 की पुष्टि करना।

शैक्षणिक-I

निर्णय **मद सं. 07 के निर्णय अनुसार पढ़ा जावें ।**

(7) प्रतिवेदन है कि निम्नांकित अध्ययन बोर्डो की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं का माननीय कुलपति महोदय ने अनुमोदन कियाः- **शैक्षणिक-I**

क्र.सं.	संकाय का नाम	अध्ययन बोर्ड / पाठ्यक्रम समिति का नाम	बैठक दिनांक	परिशिष्ट
1	**वाणिज्य संकाय**	आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्धन	20.06.13	**15**
2	**विधि संकाय**	विधि अध्ययन बोर्ड	19.06.13	**16**

निर्णय **पुष्टि की गयी ।**

(8) प्रतिवेदन है कि विधि अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 15.04.13 के कार्यवृत्त का अनुमोदन माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 20.04.13 को किया गया एवं अनुमोदन के आधार पर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 ( )शैक्ष-प्रथम/ मदसविवि/ 2013/14132 दिनांक 29.04.13 जारी किया गया । माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 21.06.13 के तहत शैक्षणिक-द्वितीय की बी.सी.आई की पत्रावली पर उक्त विधि अध्ययन बोर्ड के कार्यवृत्त में अंकित बिन्दू संख्या 01, 04 एवं 06 को अस्वीकृत कर दिया गया । तद्नुसार संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष-I/मदसविवि/2013/21567-74 दिनांक 24.06.13 जारी किया गया। उपर्युक्त संशोधित कार्यवृत्त एवं कार्यालय आदेश की पुष्टि करना । **(कार्य सूची का परिशिष्ट-17)** **शैक्षणिक-I**

निर्णय **पुष्टि की गयी ।**

(9) प्रतिवेदन है कि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर सीट अभिवृद्धि विनियमों के विनियम 10 के प्रावधानानुसार आगामी शैक्षणिक सत्र से पूर्व वर्ष की दिनांक 31 दिसम्बर तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन, शासी निकाय के प्रस्ताव की प्रति (राजकीय महाविद्यालयों हेतु राज्य सरकार के आदेश की प्रति) एवं निरीक्षण शुल्क रू. 10000/- प्रति पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। **शैक्षणिक-II**

राजकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् अतिरिक्त सैक्शन/सीट अभिवृद्धि के आदेश जारी किये जाते हैं। जिससे राजकीय महाविद्यालयों द्वारा एक वर्ष पूर्व 31 दिसम्बर तक विनियम 10 के प्रावधानानुसार आवेदन किया जाना सम्भव नहीं होता है। राजकीय महाविद्यालयों को संचालित पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सैक्शन/सीट अभिवृद्धि के आदेश जारी करने के पश्चात् विनियम 10 के प्रावधानानुसार अतिरिक्त सीट अभिवृद्धि हेतु विश्वविद्यालय को निर्धारित प्रारूप में मय निरीक्षण शुल्क आवेदन करना होता है। किन्तु अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित होने के कारण विनियम 10 के प्रावधानानुसार राजकीय महाविद्यालयों द्वारा कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होता है।

अतः माननीय कुलपति महोदय के दिनांक 22.12.2011 के आदेशानुसार राजकीय

महाविद्यालयों के लिये उपरोक्तानुसार अतिरिक्त सैक्शन/सीट अभिवृद्धि हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि की अनिवार्यता को समाप्त कर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सैक्शन/सीट अभिवृद्धि किये जाने पर राजकीय महाविद्यालयों को तद्नुसार विनियम 10 के तहत् राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के आधार पर अतिरिक्त सैक्शन/सीट अभिवृद्धि हेतु आवेदन की अनुमति प्रदान की गई है।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 22.12.2011 के अनुसार इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय पत्रांकः 41025-324 दिनांक 30.12.2011 के द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा सीट अभिवृद्धि किये जाने पर सीट अभिवृद्धि हेतु विनियम 10 में निर्धारित आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने बाबत् सूचित किया जा चुका है। **(कार्य सूची का परिशिष्ट-18)**

निर्णय **पुष्टि की गयी साथ ही निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय, राज्य सरकार से सीट अभिवृद्धि के प्राप्त आदेश की तिथि से 45 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय को नियमानुसार सीट अभिवृद्धि हेतु आवेदन करें ।**

(10) प्रतिवेदन है कि महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों (बी.ए., बी.कॉम. बी.एससी.) हेतु महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर सीट अभिवृद्धि विनियम 10 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय द्वारा सीट अभिवृद्धि हेतु आवेदन किये जाने पर नियमानुसार एक शैक्षणिक सत्र में प्रति पाठ्यक्रम में 80 सीटों के साथ एक सैक्शन की अभिवृद्धि किये जाने का प्रावधान है। **शैक्षणिक-II**

राजकीय महाविद्यालयों में संचालित उपरोक्त पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा छात्रों की मांग के आधार पर एक एवं एक से अधिक सैक्शन की सीट अभिवृद्धि के आदेश जारी किये जाते हैं। किन्तु विनियम 10 के प्रावधानानुसार उक्त पाठ्यक्रमों में एक से अधिक सैक्शन स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।
अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 19.02.2013 के द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों में जितने सैक्शन की सीट अभिवृद्धि के आदेश जारी किये जाने के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा भी उतने ही सैक्शन की सीट अभिवृद्धि किये जाने एवं प्रति सैक्शन सीट अभिवृद्धि पर शैक्षणिक कार्यभार के निर्धारित मानदण्डानुसार अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गये हैं।

निर्णय **पुष्टि की गयी ।**

(11) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के दिनांक 01.06.2010 के आदेशानुसार गठित समिति द्वारा राजनीति विज्ञान विभाग के पाँच एम.फिल. छात्रों का परीक्षा, 2009 के आन्तरिक मूल्यांकन के अंक विभागाध्यक्ष द्वारा नहीं भेजे जाने के कारण परीक्षार्थी को अनुपस्थित दर्शाते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करने पर, छात्रों से प्राप्त प्रतिवेदन पर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के ऑर्डीनेन्स 123 (13) के तहत बाह्य मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आनुपातिक आधार पर आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों **परीक्षा नियंत्रक**

की गणना करते हुए परीक्षार्थियों का संशोधित परीक्षा परिणाम किया जाने की अनुशंषा की गयी ।

समिति की उक्त अनुशंषाओं का अनुमोदन माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 30.06.12 को किया गया । **(कार्य सूची का परिशिष्ट- 19)**

निर्णय **पुष्टि की गयी । भविष्य के लिए इसे उदाहरण नहीं माना जावे तथा इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष को चेतावनी दिये जाने का निर्णय लिया गया ।**

मद सं. 6 विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं की वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 के लिए वरियता सूचियों एवं स्वर्ण/रजत पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की तैयार की जाने वाली सूचियों के लिए दिनांक 01.10.94 से प्रचलित नियमों एवं मई, 2011 से लागू किये नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने हेतु प्रो. के.के. शर्मा, विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग के संयोजकत्व में गठित समिति की बैठक दिनांक 26.11.2012 की अनुशंषाओं पर विचार एवं निर्णय (समिति की अनुशंषाएं **परिशिष्ट-10**, नियम 01.10.94 **परिशिष्ट-11,** नियम 11.05.2011 **परिशिष्ट-12** पर उपलब्ध है) **परीक्षा नियंत्रक**

निर्णय **समिति की अनुशंषाओं को स्वीकार किया गया ।**

मद सं. 7 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पाठ्यक्रम जो कि विगत वर्षो से "w.e.f." मुद्रित है । अतः इन पाठ्यक्रमों को यथावत ही वर्ष 2013-14 की परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.mdsuajmer.ac.in पर अपलोड करने पर विचार करनाः- **शैक्षणिक-I**

LIST OF SYLLABI OF THE VARIOUS EXAMINATION
2013-14 to 2017-18

S.No.	Name of Publication
1	B.A. Part-I
2	B.A. Part-II
3	B.A. Part-III
4	B.A. (Hons.) Part-I
5	B.A. (Hons.) Part-II
6	B.A. (Hons.) Part- III
7	B.Sc. Part- I
8	B.Sc. Part- II
9	B.Sc. Part- III
10	B.Sc. (Home Science) Part- I
11	B.Sc. (Home Science) Part- II
12	B.Sc. (Home Science) Part- III
13	B.Sc. (Hons) Part-I, II & III
14	B.Sc. (Bio-Technology) Part- I, II & III
15	B.Sc. (Information Technology) Part-I, II, III
16	B.Sc. (Computer Science) Part- I, II & III
17	B.Com. Part-I
18	B.Com. Part-II
19	B.Com. Part-III

20	B.Com. (Hons) Part-I, II & III
21	BBA (E&FBM) Part- I, II & III
22	BBA- Part- I, II & III (Annual Scheme)
23	BCA- Part- I, II & III
24	B.Sc.(Naturopathy & Yogic Science) Part- I, II & III
25	B.P.Ed. One Year
26	B.P.E. Part- I, II & III
27	Two Year B.Ed. Secondary
28	B.Sc. B.Ed. Part-I, II, III, IV
29	B.Ed.
30	L.L.B. Part- I, II & III
31	M.Com. - ABST (P&F)
32	M.Com.(Business Administration) (P&F)
33	M.Com. – EA & FM (P&F)
34	M.A- Hindi (P&F)
35	M.A- English (P&F)
36	M.A- Sanskrit (P&F)
37	M.A-Sindhi (P&F)
38	M.A-Urdu (P&F)
39	M.A-Rajasthani (P&F)
40	M.A-Philosophy(P&F)
41	M.A-Political Science(P&F)
42	M.A- Public Administration (P&F)
43	M.A- Sociology(P&F)
44	M.A-Economics(P&F)
45	M.A- History(P&F)
46	M.A-/M.Sc. Geography (P&F)
47	M.A- Population Studies (P&F)
48	M.A- Indian Music (P&F)
49	M.A- Drawing & Painting (P&F)
50	M.A. Vedic Vangmaya (P&F)
51	M.Sc. Physics (P&F)
52	M.Sc. Chemistry(P&F)
53	M.Sc.- Mathematics(P&F)
54	M.Sc.- Botany(P&F)
55	M.Sc. Zoology (P&F)
56	M.Sc.- Earth Science & Geology(P&F)
57	M.Sc.- Computer Science (Annual Scheme)
58	M.Sc.- Food Science & Nutrition (P&F)
59	M.Sc.-Micro Biology(P&F)
60	M.Sc.- Bio-technology(P&F)
61	M.Sc.- Remote Sensing & Geo-Informatics (P&F)
62	M.Sc.- Applied Chemistry (P&F)
63	M.Sc. Information Technology (Annual Scheme)
64	M.Sc. Compute Science (Semester I, II, III & IV)
65	MCA (Master of Computer Application) Semester I,

	II, III,IV, V & VI
66	MCA (L.E.) Only 2011-12
67	L.L.M. Part-I, II
68	MBA (D.S.) Part-I & II
69	MBA (EP) Part-I & II, III
70	MBA Part-I ,II (RMAT)
71	MBA (Business Economics) Semester-I, II,III&IV
72	M.Ed. (Elementary)
73	M.Ed.
74	Master of Journalism (Mass Communication) w.e.f. Semester
75	Master of Social works (Semester Scheme)
76	M.Phil (EAFM)
77	M.Phil (ABST)
78	M.Phil (Bus. Admn.)
79	M.Phil Hindi
80	M.Phil Sanskrit
81	M.Phil English
82	M.Phil History
83	M.Phil Economics
84	M.Phil Political Science
85	M.Phil Geography
86	M.Phil Public Administration
87	M.Phil Sociology
88	M.Phil Botany
89	M.Phil Mathematics
90	M.Phil Physics
91	M.Phil Chemistry
92	M.Phil Zoology
93	M.Phil Environmental Science
94	Diploma Certificate in Steno Typing
95	P.G. Diploma in Media Management
96	Diploma in Disaster management
97	Diploma in Labour Law, Labour Welfare & personal Management
98	DYEHS (Dip. In Yoga Edu. & Human Sc.)
99	YICC
100	P.G. Diploma in Salesmanship & Marketing
101	P.G. Diploma in Criminology & Criminal Administration
102	P.G. Diploma in Cost & Works Accounting
103	P.G. Diploma in Computer Application (Annual Scheme)
104	Advance Post P.G. Diploma in Food & Health Security
105	Soil & water Conservation Tech.
106	PG Diploma in Textile Chemistry

107	PG Diploma in Industrial Safety, Health & Environment
108	School of Vedic Science Master Yoga Studies & Therapy Management
109	M.Sc. Environmental Science (P&F)

निर्णय **विश्वविद्यालय के अनुमोदित पाठ्यक्रम सत्र 2013-14 से विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.mdsuajmer.ac.in पर उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया । पाठ्यक्रमों में आवश्यकतानुसार संशोधन करने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।**

मद सं.8 **शोध अनुभाग**

शोधार्थी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा (शोध पंजीयन क्रमांक 4527/05) द्वारा शोध पर्यवेक्षक डॉ0 नीलिमा भार्गव व्याख्याता-इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर के निर्देशन में ''दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बौद्ध धर्म (झालावाड़ जिले में स्थित गुफाओं के आधार पर अध्ययन)'' शीर्षक पर पी.एचडी. उपाधि हेतु प्रस्तुत किए गए शोध प्रबन्ध के तीन परीक्षकों (दो विशेषज्ञ परीक्षकों एवं एक शोध पर्यवेक्षक) में से एक विशेषज्ञ परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उक्त शोध प्रबन्ध को नकल का प्रकरण मान्य करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति के जांच प्रतिवेदन **(परिशिष्ट 13** जिसे माननीय कुलपति महोदय ने स्वीकार कर लिया है।) के निष्कर्ष पर विश्वविद्यालय के अधिनियम के परिनियम 8.4 (ख) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार कर निर्देश प्रदान करनाः-

1. चूंकि जांच समिति ने इस प्रकरण में परीक्षक द्वारा उल्लेखित निष्कर्ष को सही पाते हुए संबंधित शोधार्थी द्वारा की गई नकल को सही माना है। ऐसी परिस्थिति में संबंधित शोध प्रबन्ध विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124.1 की पूर्ति नहीं करने के कारण निरस्त किया जाना एवं संबंधित अभ्यर्थी इस कारण से आगे शोध कार्य हेतु पंजीयन कराने का पात्र नहीं माना जाना प्रस्तावित है।

2. चूंकि समिति ने इस प्रकरण में नकल किया जाना सही पाया है अतः शोधार्थी के साथ संबंधित शोध पर्यवेक्षक की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने इस शोध प्रबन्ध में की गई नकल के तथ्य को न केवल छिपाया अपितु इस आशय का कि ''The thesis is an original piece of research work carried out by the candidate under my supervision'' प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। ऐसा करके संबंधित शोध पर्यवेक्षक ने न केवल शोध पर्यवेक्षक के दायित्व का वहन संदिग्ध निष्ठापूर्वक किया है अपितु नकल को छिपा कर गलत प्रमाण पत्र देने का भी कदाचार किया है जिसके लिए संबंधित शोध पर्यवेक्षक का पंजीयन निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।

3. शोध अनुभाग को निर्देशित किया जाए कि यदि किसी पैनल में उक्त प्रो0 जे.के. शर्मा का नाम आता है तो उस पैनल में उनके स्थान पर किसी अन्य का नाम देने के लिए शोध पर्यवेक्षक को निवेदन करें।

निर्णय **बिन्दू संख्या 01 एवं 02 को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया ।**

मद सं. 9 राजस्थान सरकार आयुक्त विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र क्रमांक एफ.1 ( ) आईडीए/आयु.वियो.जन/13/1751 दिनांक 14.3.13 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6-2/2013(SCT) दिनांक 3 मई 13 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों एवं ऐसे अन्य परीक्षार्थियों को, जो अपने हाथ से लिखने में असमर्थ हों, को परीक्षा के समय अपने कम्पयूटर की सहायता से परीक्षा दिए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने बाबत् निर्णय करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-14)** **शेक्षणिक प्रथम**

निर्णय **उपर्युक्त प्रस्ताव को संबंधित गाईड लाईन के साथ स्वीकार किया गया साथ ही निर्णय लिया गया कि परीक्षार्थी निर्दिष्ट उपकरण की व्यवस्था स्वयं करेगा ।**

मद सं. 10 सत्र 2013-14 के पाठ्यक्रमों के संदर्भ में संयोजक, अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं अन्य एजेन्सी से प्राप्त पत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की बैठकों का आयोजन कराया जाना है:- **शेक्षणिक प्रथम**

1. विधि अध्ययन बोर्ड
2. व्यावसायिक प्रशासन अध्ययन बोर्ड,
3. ई.ए.एफ.एम. अध्ययन बोर्ड
4. समाजशास्त्र अध्ययन बोर्ड
5. कम्प्यूटर साईंस एवं आई.टी. अध्ययन बोर्ड
6. कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम समिति
7. राजनीति विज्ञान अध्ययन बोर्ड
8. सूक्ष्मजीव विज्ञान पाठ्यक्रम समिति
9. गृह विज्ञान अध्ययन बोर्ड

उपर्युक्त अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने पर विचार करना ।

निर्णय **बिन्दु संख्या 01 एवं 03 की पुष्टि मद संख्या 5 (7) पर की जा चुकी है एवं शेष अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों एवं उक्त के अतिरिक्त आयोजित होने वाली अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त के अनुमोदन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।**

मद सं. 11 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांकः प. 3(2)शिक्षा-4/2003 दिनांक 06.11.2012 के द्वारा भारत में स्थाईवास चाहने के उद्धेश्य से राज्य में रह रहे पाक नागरिकों के बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में विशेषाधिकारी, गृह (जेल) से प्राप्त अ.शा.टीप क्रमांकः प.2 (181)गृह-4/2007 दिनांक 18.10.2012 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। **शैक्षणिक-II**

विशेषाधिकारी, गृह (ग्रुप-4) विभाग द्वारा उक्त अर्द्ध-शासीकीय पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि भारत में स्थायीवास चाहने के उद्धेश्य से पाकिस्तान से राजस्थान राज्य में आये पाक नागरिकों के बच्चों को भारत में शिक्षा प्राप्त करने के

लिये शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कराने में कठिनाई होती है तथा कई मामलों में प्रवेश से वंचित रखे जाने के फलस्वरूप उन बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांकः 25022/58/ 2011 एफ.1 दिनांक 22.12.2011 के साथ संलग्न राज्य सरकार को प्रत्यायोजित शक्तियों के पैरा 23 (ii) में अंकित निम्नांकित प्रावधान हैः

"Children of Pak nationals staying on LTV under eligible categories with intention to settle permanently and obtaining Indian Citizenship would be permitted to take admission in schools, colleges, universities, technical/professional institutions etc. subject to usual conditions prescribed for foreigners in this regard."

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त निर्देशों के अनुसरण में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने एवं भारत में स्थायीवास चाहने के आधार पर राज्य में रह रहे पाक नागरिकों के बच्चों को विद्यालय/ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/तकनिकी संस्थान/व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी राज्य सरकार के निर्देशानुसार सूचित किया गया है।

अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 22.06.2013 के अनुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांकः 25022/58/ 2011 एफ.1 दिनांक 22.12.2011 के अनुसार राज्य सरकार को प्रत्यायोजित शक्तियों के पैरा 23 (ii) में वर्णित उपरोक्त प्रावधान को विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में उक्त श्रेणी के छात्रों के प्रवेश हेतु अंगीकृत किये जाने हेतु मद विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **(कार्य सूची का परिशिष्ट- 20)**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**

मद सं. 12 राज्य सरकार द्वारा जारी सत्र 2012-2013 की प्रवेश नीति के भाग तृतीय (3.1) में विधि स्नातक-प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है: **शैक्षणिक-II**

> **"अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक ईच्छुक अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 30 वर्ष की आयु में 5 वर्ष की रियायत देने का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा।"**

इस सम्बन्ध में भारतीय विधि परिषद (Bar Council of India) के Rules of Legal Education, 2008 की तृतीय अनुसूची के नियम 28-बी में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-

28–बी Age on admission

"Subject to the condition stipulated by a University, and the general social condition of the applicants seeking legal education

belatedly, the maximum age for seeking admission into a stream of three year bachelor degree course in Law is limited to 30 years with right of the University to give concession of 5 further year for the applicant belonging to SC or ST or any other backward community."

अतः राज्य सरकार की प्रवेश नीति एवं भारतीय विधि परिषद के उक्त नियमों के आधार पर माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 6.03.2013 के द्वारा विधि स्नातक-प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 30 वर्ष में **अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग** के अभ्यर्थियों हेतु 05 वर्ष की शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **(कार्य सूची का परिशिष्ट- 21)**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**

माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सदस्यों को अवगत कराया कि इस विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 20 फरवरी, 2013 से प्रारम्भ हुई थी और स्नातक स्तर के लगभग समस्त परीक्षा परिणाम घोषित किये जा चुके है । सत्र 2013-14 हेतु विश्वविद्यालय में माह जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी । समस्त सदस्यों ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई दी ।

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक का समापन हुआ।

कुलपति **कुलसचिव**